विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित, डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
27 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-मण्डौर, तहसील-मऊ, जनपद-चित्रकूट के निवासियों को तहसील प्रशासन द्वारा संबंधित समस्याओं का समाधान कराये जाने हेतु आशुतोष सिन्हा, सभापति संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति का पत्र दिनांक 27 जून, 2023 जो कि अपर मुख्य सचिव राजस्व को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो सदस्य के साथ पीड़ितो के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से श्री दशरथ पुत्र स्व0 श्री बैजनाथ प्रजापति नि0 ग्राम सभा मण्डौर थाना व तहसील मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थी को अपना मकान बनाने में विपक्षियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने, मुकदमें में फंसाने की धमकी दिये जाने तथा थाने एवं तहसील के अधिकारियों/ कर्मचारियों की शिकायत की गयी है। प्रार्थनापत्र की जॉच उपजिलाधिकारी मऊ, जनपद चित्रकूट एवं पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से करायी गयी। उपजिलाधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 03.07.2024 के अनुसार वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1425-1430फ0 के खाता संख्या-165 के गाटा संख्या 1031 रकबा 0.088 हे0 पर श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर के रूप में प्रार्थी के नाम के साथ अन्य कुल 08 सह खातेदारों के नाम अंकित है। जबकि गाटा संख्या 1032 रकबा 0.088 हे0 वर्तमान फसली वर्ष 1425-1430 के खाता संख्या-323 में श्रेणी 1क

के खातेदार उमेश पुत्र रामखेलावन, कल्लू प्रसाद पुत्र गंगा, चन्द्रभान पुत्र बुधइया आदि कुल 14 सहखातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

गाटा संख्या-1031 में प्रार्थी का हिस्सा 0.022 हे0 है, जिस पर प्रार्थी अपने सम्पूर्ण हिस्से में काबिज है।

प्रार्थी का भवन मौके पर गाटा संख्या-1032 में बना है जबकि गाटा संख्या-1032 में प्रार्थी की न तो कोई भूमि है, न सहखातेदार है।

प्रार्थनापत्र में उल्लिखित महेश पुत्र कंधई प्रजापति के नाम का कोई भी व्यक्ति तहसील में कार्यरत नहीं है। जहां तक अयोध्या प्रसाद पुत्र शारदा प्रसाद के मकान बनाये जाने का प्रश्न है, अयोध्या प्रसाद का मकान गाटा संख्या-1032 में बना हुआ है, जो उनके पिता के समय से ही बना है। प्रार्थी गाटा संख्या-1032 में अपने कब्जे को और बढ़ाना चाहता है। जबकि वह गाटा संख्या-1032 का हिस्सेदार/ सहखातेदार नहीं है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की जॉच आख्या दिनांक 05.06.2024 के अनुसार आस-पास के गाटों में आबादी बनी हुई है। प्रकरण के संबंध में विपक्षी चन्द्रभान मौर्या द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), मऊ चित्रकूट में अपील मूलवाद सं0-11/74/2022 योजित की गयी है जो विचाराधीन है। जांच में आवेदक के प्रार्थनापत्र में अंकित किये गये अन्य आरोपों की पुष्टि होना नहीं पाया गया है।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हॉ। उपर्युक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।